सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 939 राँची, बुधवार, 3 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 सितम्बर, 2018

विषय: "अष्टलोहि कर्मकार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-ii) के क्रमांक-29 पर अंकित "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।

संख्या-14/जा०नि०-03-08/2016 का.- 7088-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है ।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची ii) के क्रमांक-29 पर दर्ज "सोनार

(सुवर्ण वनिक)'' के साथ 'अष्टलोहि कर्मकार' को जोड़ा जाय'' के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के ''सोनार (सुवर्ण वनिक)'' जाति के साथ 'अष्टलोहि कर्मकार' राज्य के पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-29 पर दर्ज ''सोनार (सुवर्ण वनिक)'' के साथ निम्नवत् सम्मिलित की जायः-

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
29	सोनार (सुवर्ण वनिक)	सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 939 -- 50